तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहल की त
	काश्तकार है तथा कब्जा काश्त है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर हक मिल्कियत होने से प्रार्थी को कानून के तहत पट्टाकार घोषित किया जाना आवश्यक है। वास्तुतः प्रार्थी का प्रा.प. 01 R10(2) R10C पर हल बाढ़ के बाद पत्रावली रीमाण्ड किया जा चुका है। विपक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.प. 01 R10(2) R10(6) C पर रीमाण्ड किया जाता है। प्रार्थी को ३ दिन पट्टाकार घोषित किया जाता है। वकील लाजपत संशोधित शीर्षक एवं ३ दिन पश्चात प्रा.प. पेश करें। पत्रावली दिनांक 30/10/17 को पेश हो। SDO	
30/10/17	नकुलाल उफ। संशोधित शीर्षक पेश करने का समय चाहते हैं दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 6/11/17 को पेश हो। SDO	
6/11/17	नकुलाल उफ। संशोधित शीर्षक पेश करने का समय चाहते हैं दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 16/11/17 को पेश हो। SDO	
16/11/17	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 30/11/... 2017..... को पेश हों।	
30/11/17	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 18/12/2017..... को पेश हों।	
18/12/17	पत्रावली पेश हुई आज S.D.O. साहब दौरे पर, दिगर कार्य में व्यस्त वकीलों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 22/12/2017..... को पेश हों।	
22/12/17	पत्रावली पेश हुई। वकील मय लाजपत को बार बार आवाजें दिलाई गई। वकील मय लाजपत आज बिना कोई सूचना/ईतला के अनुपस्थित रहे हैं। वकील मय लाजपत बिना कोई सूचना/ईतला के अनुपस्थित रहने से लाजपत का प्रा.प. मय पैरवी/अदम हाजरी खारिज किया जाता है। पत्रावली कौंसल शुल्क बोर्ड नम्बर पर मय है। बाद तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर होवे। अवकाश जाता है। SDO	

Scanned by CamScanner